संख्या-9/2015/क0नि0-4-160/11-2016-300(19)/2012

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 16 मार्च, 2016

विषयः-जनपद गाजियाबाद में मोहन नगर चेकपोस्ट की भूमि पर निर्माणाधीन वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान के रीजनल ट्रेनिंग सेन्टर केन्द्र हेतु वर्ष 2015-16 के बजट से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-गाजियाबाद-264/मोहननगर भूमि हस्तान्तरण 2015-16/732/वाणिज्य कर, दिनांक-08.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट से धनराशि रू0 500.00 लाख अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या- क0नि0-4-1504/11-2014-300(19)/2012, दिनांक 22 जनवरी, 2015 द्वारा प्रदान की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट से उक्त प्रायोजना हेतु रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल उ0प्र0 निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

1. आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृति धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
3. परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. निर्माण के समय कार्य की विशिष्टिया, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/कमिश्नर, वाणिज्य कर का होगा।
5. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/कमिश्नर, वाणिज्य कर का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त, वाणिज्य कर का होगा।

7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-जनपद गाजियाबाद सहायता केन्द्र मोहननगर परिसर में विभागीय ट्रेनिंग सेन्टर का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
धीरेन्द कुमार वर्मा,
उप सचिव।

संख्या- 9/2016/क0नि0-4-160 (1)/11-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,इलाहबाद।
2- महालेखाकार(लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय,इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद, उ0प्र0।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गाजियाबाद।
6- गार्ड बुक/समीक्षा अधिकारी(बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द कुमार वर्मा,
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in